

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।


क्रमांक:-एफ.1(5)लोआस/1987/12175

जयपुर, दिनांक:- 18/9/2024

कार्यालय-आदेश

राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम-1973 की धारा 9(2)व राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (कार्यवाहियां) नियम, 1974 के अन्तर्गत लोकायुक्त सचिवालय के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली शिकायतों के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/नोटेरी पब्लिक/शपथ आयुक्त (ओथ कमिश्नर) से विधिनुसार सत्यापित करवाया जाकर प्रस्तुत किया जा सकते हैं।


माननीय लोकायुक्त महोदय की आज्ञा से


(गौरी शंकर शर्मा)

सचिव

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, माननीय लोकायुक्त महोदय
2. सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी
3. रक्षित पत्रावली।


(हर्ष कुमार मिश्र)
उप सचिव